न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/171

1. गोपाली बाई आयु 49 वर्ष पत्नी रतन सिंह जाति पासवान निवासी ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रतन सिंह आयु 55 वर्ष आत्मज राधाकिशन जाति पासवान निवासी ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 876 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 877 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 898 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 08 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी कम 01 गोपाल बाई के नाम खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम सोरण में खसरा नम्बर 864 की रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 878 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 879 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल 03 किता रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त भूमि प्रार्थी कम 02 रतन सिंह के खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं ।

प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की भूमि के पास ही आबादी से 20 फिट चौडा रास्ता तलाई पर जाने हेतु बना हुआ है । उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त रिकॉर्डेड रास्ते के सहारे सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 919 स्थित है जिस पर होकर प्रार्थी की भूमि में आने–जाने हेतु पुराना रास्ता बना हुआ है । रिकॉर्डेड रास्ते से खसरा नम्बर 919 पर होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 898 व अन्य खसरा नम्बरान की भूमियों पर आते–जाते हैं लेकिन खसरा नम्बर 919 सिवायचक भूमि में स्थित रास्ते के स्थान पर अतिक्रमियों ने बाडे बना लिये हैं । रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 919 सिवायचक है । प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । प्रार्थीगण तलाई पर जाने वाले रिकॉर्डेड रास्ते से अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 898 के बीच में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 919 में 15 फिट चौडे रास्ते की घोषणा करवाना चाहता है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सोरण की आबादी बस्ती से भरणी तलाई पर जाने वाले रिकॉर्डेड रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 898 की बीच स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 919 में 15 फिट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम सोरण की आराजी खसरा नम्बर 919 गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 898 तक प्रस्तावित रास्ता चौडाई में 04 मीटर कुल 0.0324 हैक्टर को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार डीएलसी दर की दोगुनी राशि जमा कराने पर रास्ता घोषित करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के नियम 69 की पालना किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है । परीक्षण न्यायालय ने जिस स्थान पर रास्ता घोषित किया है उस स्थान पर पक्के मकान बने हुए हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित होने के उपरान्त अपीलान्ट कोविड– 19 के रोग से ग्रहित हो जाने के कारण निर्णय की नकल हेतु तत्समय आवेदन नहीं कर सके थे । इसके बाद लॉक डॉउन लग जाने से प्रार्थी अपीलान्ट अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर सके थे । अपीलान्ट रतन सिंह की तबीयत ठीक होने पर दिनांक 15.09.2021 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और खसरा नम्बर 920 में बने हुए रिकॉर्डेड रास्ते के सहारे स्थित खसरा 919 में 15 फिट चौडा रास्ता घोषित किये जाने का निवेदन किया था । परीक्षण न्यायालय ने नायब तहसीलदार दबलाना से चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई लेकिन मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई गलत रूप से अपीलान्ट प्रार्थिया गोपाली बाई की उपस्थिति बताकर मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रार्थीगण के बने हुए पक्के मकानों के स्थान पर रास्ता प्रस्तावित कर दिया । प्रस्तावित रिपोर्ट आने के उपरान्त प्रार्थीगण की आपत्ति को अनदेखा कर खसरा नम्बर 898 के पश्चिमी कौने पर खसरा नम्बर 919 में रास्ता घोषित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट की आपत्ति को निर्णित नहीं किया । परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के नियम 69 की पालना किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण के खातेदारी की आराजी में जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 919 सिवायचक में से खसरा नम्बर 898 तक प्रस्तावति 04 मीटर चौडा कुल 0.0324 हैक्टर को डीएलसी दर की दोगुनी राशि जमा कराने पर रास्ता घोषित किये जाने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और खसरा नम्बर 920 में बने हुए रिकॉर्डेड रास्ते के सहारे स्थित खसरा 919 में 15 फिट चौडा रास्ता घोषित किये जाने का निवेदन किया था । परीक्षण न्यायालय ने नायब तहसीलदार दबलाना से चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई । मौका रिपोर्ट दिनांक 09.12.2020 की पालना में तैयार की गई है । उक्त मौका रिपोर्ट पर गोपाली बाई की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं तथा उक्त मौका रिर्पाट तैयार की गई है ।

12. अपीलान्टगण के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि जिस स्थान पर रास्ता घोषित किया गया है उस स्थान पर पक्के मकान बने हुए है जहाँ से रास्ता कायम किया जाना संभव नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) रास्ते सम्बन्धी अधिकार देने के लिए है परन्तु जैसा कि अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि जो रास्ता घोषित किया गया है उसमें पक्के मकान सहित अतिक्रमण है । अब प्रश्न यह उठता है कि क्या तहसीलदार उन अतिक्रमणों को हटाकर वहीं पर रास्ता कायम करेंगे ? अतिक्रमण कितने समय में हटाया जाना संभव होगा ? यदि अतिक्रमण नहीं हटते हैं तो प्रार्थी के लिए उक्त रास्ते का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है । ऐसी परिस्थिति में हम यह उचित समझते हैं कि तहसीलदार/नायब तहसीलदार हिण्डोली स्वयं मौका निरीक्षण करें तथा सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 251 (ए) तथा नियम 69 की पालना करते हुए नये सिरे से औचित्यपूर्ण रूप से उचित मौका रिपोर्ट तैयार करें । इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रस्तुत प्रकरण को विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.04.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 12 में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए तहसीलदार/नायब तहसीलदार हिण्डोली पुनः नये सिरे से मौका रिपोर्ट तैयार करें तथा परीक्षण न्यायालय को प्रेषित करें । परीक्षण न्यायालय प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा दर्ज आपत्ति को गुणावगुण के आधार पर युक्तियुक्त निस्तारण करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा